

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 92B/2013-14

सुरुकुमनी हरिजन बनाम पाण्डि मुखी

:: आदेश ::

संक्रमांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

26-5-2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता सुरुकुमनी हरिजन पति स्व० युधिष्ठिर हरिजन, ग्राम-डोंडा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने गृह मरम्मत एवं कृषि कार्य हेतु क्रेता पाण्डि मुखी, पिता-स्व० सदानन्द मुखी, ग्राम-रेलवे कॉलोनी आदित्यपुर, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।